

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 143/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

आईआईएफएल होम फाईनेन्स लिमिटेड, शाखा कार्यालय चतुर्थ मंजील, विनायक हाईट्स, गौतम मार्ग,
वैशाली नगर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री अनीयू शर्मा पुत्र श्री युगल शर्मा
पता :- प्लॉट नम्बर सी-1सी, दीवान हाउस, रघुनाथ कॉलोनी, जयपुर।
एवं जैनिलमार्क, फार्माक्यूटिकल लिमिटेड, सी-66, रोड नम्बर 1, वी.के.आई. इण्डस्ट्रीयल एरिया,
नवजीवन हॉस्पिटल के सामने, सीकर रोड, जयपुर।
एवं प्लेट नम्बर एस-3, फ्लोर नम्बर 2, प्लॉट नम्बर 16, कृष्णा गार्डन, ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील
सांगानेर, जयपुर।
2. श्रीमती अनीता शर्मा पत्नी श्री युगल शर्मा
3. श्री युगल शर्मा पुत्र श्री बनवारीलाल शर्मा
पता :- प्लॉट नम्बर सी-1सी, दीवान हाउस, रघुनाथ कॉलोनी, जयपुर।
एवं प्लेट नम्बर एस-3, फ्लोर नम्बर 2, प्लॉट नम्बर 16, कृष्णा गार्डन, ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील
सांगानेर, जयपुर।



The application under section 14 of The Securitisation
and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

उपस्थित :- श्री कुलदीप शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 20.05.2024


1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक
26.06.2021 पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती अनीता शर्मा के स्वामित्व
की संपत्ति प्लॉट नम्बर 16, कृष्णा गार्डन, ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर पर स्थित
प्लेट नम्बर एस-3, द्वितीय तल, क्षेत्रफल 1040.60 वर्गफीट को बन्धक रख कर राशि
28,60,734/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय
संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी
ऋणी को दिनांक 11.12.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने
के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The
Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security
Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर



- मौलिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस हमला उपलब्ध कराने की इसाराहना की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिकता को भीर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का मनीमाहि अवलोकन किया गया।
 3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 23 जून 2010 का सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
 4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 28,60,734 /- रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिगुति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बंकाया ऋण राशि 28,90,486 /- रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 11.12.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का मौलिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
 5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती अनीता शर्मा के स्वामित्व की बन्धक संपत्ति प्लॉट नम्बर 16, कृष्णा गार्डन, ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर पर स्थित फ्लैट नम्बर एस-3, द्वितीय तल, क्षेत्रफल 1040.60 वर्गफीट का मौलिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
 6. आदेश की प्रति संवधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संवधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति इस्व कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल हो।
 7. आदेश आज दिनांक 20.05.2024 को सर इजलास सुनाया गया।




 (प्रकाश राजपुरोहित)
 जिला मजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर